देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

अंक –2019/rtiexpose/03

E-Newsletter, Issued in Public Interest

बुधवार, 22 मई 2019

अवैध हुक्का बार कैसे बंद होंगे??क्यूंकि कमिश्नर साहब के आदेश तो थानों में पहुचते ही नहीं|

शहर में कुकुरमुत्तों की तरह फैले अवैध हुक्काबारों में खुलेआम भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जहाँ फ्लेवर की आड़ में नशे का आदी बनाया जा रहा है|इन अवैध हुक्काबारों के खिलाफ कार्यवाही करने में हमारे कमिश्नर साहब तो गंभीर नजर आते है जिसके चलते उनके द्वारा यह तक आदेश जारी कर दिए गए है कि यदि किसी थानाक्षेत्र में अवैध हुक्का बार चलता पाया गया तो सम्बंधित थाने के एस.एच.ओ. को जिम्मेदार माना जाएगा|परन्तु उनके मातहत उनके आदेश के प्रति कितने गंभीर है इसका पता इस बात से चलता है कि कमिश्नरेट के अधिकांश थानों में यह आदेश पहुचे ही नहीं है|इस गंभीर विषय में अधिक जानकारी के लिए सुचना के अधिकार के तहत कमिश्नरेट के सभी थानों से विभिन्न सूचनाएं मांगी गयी जिससे यह चौकाने वाला तथ्य सामने आया है,इसके अलावा भी कई तथ्यों का खुलासा हुआ है जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते है|

जयपुर शहर में चल रहे 300 से अधिक लाईसेंस प्राप्त शराब/बियर बार बन चुके है अवैध हुक्का बार|

जयपुर शहर में 300 से अधिक अधिकृत लाईसेंस प्राप्त रेस्टोरेंट और होटल बार संचालित है,जिसमे से अधिकतर में सिगरेट,हुक्के का प्रयोग किया जाता है|शहर के पांच सितारा होटलों में भी अब हुक्के का चलन बढ़ता जा रहा है|शहर में बढ़ते पब कल्चर ने अवैध हुक्का बारों को और हवा दी है,जहाँ पर नाच,गाना,शराब,नशा सब कुछ आसानी से मिल जाता है|सप्ताहांत में तो इन पब,क्लबों,बारों में युवाओं की भीड़ लग जाती है,जहाँ पर युवाओं को खुलेआम कश लगाए देखा जा सकता है|

जयपुर शहर में हुक्का बारों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी के लिए जयपुर कमिश्नरेट के चारों क्षेत्रों में लगाए सुचना के आवेदन,51 थानों से मिली सूचनाएं|

कोटपा और अन्य धाराओं में दर्ज करती है पुलिस मामले

राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धार 9,11 कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4,21 में मामले दर्ज करती है|जिसमे सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालों और धुम्रपान सामग्री बेचने वालों पर 200 रूपये का जुर्माना और गिरफ्तारी का प्रावधान है|

सख्त कार्यवाही नहीं होने से डर नहीं

पुलिस के पास इन दोनों अधिनियमों में कठोर धाराएं नहीं होने से वह बेबस नजर आती है,जोधपुर के एक हुक्का बार पर स्थानीय पुलिस ने धारा 144 के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया था,जिसे उच्च न्यायालय के आदेश पर खोलना पड़ा था|

हुक्के की आड़ में चरस,गांजा,अन्य नशीली वस्तुएं

देखा गया है कि इन हुक्का बारों में फ्लेवर के नाम पर चरस,गांजा,अन्य नशीली वस्तुएं परोसी जाती है|जिससे आज का युवा वर्ग नशे की गर्त में डूबता जा रहा है|

पुलिस नहीं करवाती मादक पदार्थों की जांच

सुचना के अधिकार से प्राप्त जानकारियों से ज्ञात हुआ है कि दबिश करने पर हुक्के से सम्बंधित सामग्रियां जब्त तो करती है लेकिन किसी भी तरह का लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाती जिससे, किसी मामले में नशीला पदार्थ पाया गया हो ऐसी जानकारी किसी भी रिपोर्ट में देखने को नहीं मिली और ना ही आज तक सुनने में आया है|इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिंह खडा होता है|

जनवरी 2018 से अब तक 153 मामले

सबसे अधिक कार्यवाही जवाहर सर्किल थाने में,

जयपुर कमिश्नरेट के 51 थानों से प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि जनवरी 2018 से अब तक सभी थानों द्वारा 153 मामले दर्ज किये है,जिनमे सर्वाधिक जवाहर सर्किल थाने द्वारा अब तक 49 प्रकरण दर्ज किये है|उसके बाद अशोक नगर थाने द्वारा कार्यवाही करते हुए 24 प्रकरण दर्ज किये है|

2-3 को पकड़ कर कर देती है मामला रफा दफा

ऐसे मामलों की FIR पढने पर पता चलता है कि अधिकांश मामलों में पुलिस द्वारा एक सेट पैटर्न के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है|जिसमे आम नागरिकों का गवाह नहीं बनना,पुलिस को देख कर सभी नाबालिगों का भाग जाना,प्रमुखता से लिखा जाता है|आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे अधिकांश हुक्का बार खुले में नहीं चल कर बंद कमरों,रूफ टॉप पर चल रहे है,जिनमे निकासी के लिए भी एक ही गेट होता है,परन्तु फिर भी पुलिस को देख कर सभी नाबालिगों का भाग जाना,समझ से परे है|

हुक्का बार वैध है या अवैध??जयपुर कमिश्नरेट में किसी को नहीं पता|

शहर में चल रहे हुक्का बार वैध है या अवैध इसके सम्बन्ध में जयपुर कमिश्नरेट के चारों अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्रमशः पूर्व,पश्चिम,उत्तर व दक्षिण से इसकी जानकारी चाही गयी परन्तु चारों ही अधिकारी यह बताने में असमर्थ रहे कि हुक्का बार वैध है या अवैध|एक अन्य बिंदु के माध्यम से जब पुलिस विभाग से पूछा गया कि हुक्का संचालन के लिए पुलिस कमिश्नरेट से कोई NOC/लाईसेंस प्राप्त करना होता है तो वह इनकी भी जानकारी नहीं दे पाए|

अपराध समीक्षा : थानाधिकारी रोजाना 3 घंटे करेगा पैदल गश्त

हुक्काबार : अब एसएचओ होंगे जिम्मेदार

पुराने लम्बित मामले 3 माह में निपटाने का दिया लक्ष्य

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पत्रिका लगातार

राजस्थान पत्रिका

जयपुर. कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने रविवार को पहली अपराध समीक्षा बैठक ली। आरपीए में सुबह 11 बजे से 7 घंटे चली बैठक में कमिश्नर ने थानाधिकारियों को कहा कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए चौबीसों घंटे अलर्ट रहें।

बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब हर एसएचओ प्रतिदिन शाम को 3 घंटे पैदल गश्त करेगा। नाकाबंदी में भी एसएचओ को मौके पर रहना होगा। अपने इलाके की यातायात व्यवस्था पर उसे निगाह रखनी होगी। प्रत्येक थानाधिकारी क्षेत्र के 10 बड़े बदमाशों को चिह्नित कर उन पर लगातार निगाह रखेगा, पाबंद करेगा। कहीं हुक्का बार चलता मिला तो संबंधित एसएचओ जिम्मेदार होगा। कमिश्नर ने वाहन चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदातों को गंभीर मानते हुए इन पर लगाम के लिए प्रत्येक थाने में विशेष दल बनाने के निर्देश दिए। मादक पदार्थ की तस्करी पर पाबंदी लगाने का लक्ष्य भी दिया गया। थानाधिकारी पर अपने इलाके के सजायाफ्ता और विचाराधीन अपराधियों के खिलाफ अदालत से प्रभावी कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके लिए एसएचओ केस ऑफिसर स्कीम के तहत तारीख-पेशी के दौरान बदमाशों के तमाम आपराधिक मामले अदालत के सामने रखेगा। जेल से बाहर आने के बाद भी बदमाशों पर निगाह रखेगा।

बतानी होगी एफआइआर की प्रगति : परिवादी को थाने में दर्ज मामले में प्रगति रिपोर्ट बतानी अनिवार्य होगी। एफआइआर दर्ज करने और उसके बारे में परिवादी को जानकारी देने के मामले में आनाकानी करने वाले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

पत्रिका ने उठाया मुद्दा

कमिश्नर ने थानाधिकारियों को चेताया कि जिस इलाके में हुक्का बार चलता मिला, वहां के थानाधिकारी पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हुक्का बारों के अवैध संचालन का 'राजस्थान पत्रिका' ने प्रमुखता से उजागर किया था।

होंगी 56 स्पेशल टीमें

चेन स्नैचरों और वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए कमिश्नरेट के सभी 56 थानों में स्पेशल टीम होगी। पिछले 6 साल से पेंडिंग मामलों को अब 3 माह के भीतर निपटाना होगा। जमीनों के मामले में मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल निलंबित किया जाएगा। गौरतलब है कि चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी के मामलों को लेकर भी पत्रिका ने पुलिस को लगातार आगाह किया है।

पत्रिका Mon, 11 March 2019
epaper.patrika.com/c/37491034

हुक्का बारों पर पुलिस की कार्रवाई जारी, पर नहीं मान रहे संचालक

हुक्का बार संचालकों को नहीं डर, कुछ दिन बाद फिर कारोबार शुरू

पत्रिका मुहिम

कौन तोड़ेगा नशे का जाल

नाम टी-कनेक्ट, परोस रखा था हुक्का

टी-कनेक्ट में दो-युवक युवतियां एक टेबल पर बैठे थे, जहां पर उनके आगे ही हुक्का रखा था।

द कश कैफे में कार्रवाई के दौरान हुक्का पीते मिले युवा।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. ढुलमुल कानूनी नियमों के चलते राजधानी में अवैध हुक्का बार संचालकों को पुलिस की कार्रवाई का डर ही नहीं है। पुलिस इन पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन मामूली अर्थदंड भरने व छूटने के बाद मोटी कमाई के फेर में इनका संचालन फिर शुरू हो जाता है। पुलिस ने रविवार को जवाहर सर्कल क्षेत्र में दो हुक्का बारों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इन पर पहले भी तीन-चार बार कार्रवाई हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस आयुक्त के आदेशों के बाद शहर की कई थाना पुलिस द्वारा रेस्त्रां व कैफों पर नजर रखे जाने के साथ ही इन जगहों पर हुक्का पिलाने की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट क्षेत्र में कार्रवाई के बाद जवाहर सर्कल पुलिस ने रविवार रात डब्ल्यूटीपी के पीछे स्थित द कश कैफे पर दबिश दी। इस दौरान यहां काफी युवा हुक्का पीते मिले और पुलिस को देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई। फिर पुलिस ने मेरठ निवासी संचालक सूरज जोशी को गिरफ्तार कर हुक्का, फ्लेवर व अन्य सामग्री जब्त की। यहां पूर्व में भी 2-3 बार पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। वहीं, एसआइ मुंशीराम ने गिरधर मार्ग पर टी कनेक्ट कैफे पर दबिश दी और मैनेजर सोनू सिंह को गिरफ्तार किया।

यहां हुई कार्रवाई: अवैध हुक्का बार संचालकों के खिलाफ पिछले 2-3 दिन से स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रताप नगर क्षेत्र में एसआई सुंदरलाल ने टीम के साथ जगतपुरा पुलिया के पास स्थित डेजा वू कैफे पर कार्रवाई की। यहां से चितरंजन कुमार, समीर व जगदीश बिष्ट को गिरफ्तार कर काफी मात्रा में हुक्का पिलाने संबंधी सामग्री भी जब्त की। इसके अलावा जवाहर सर्कल पुलिस ने पॉलीवुड कैफे में हुक्का पिलाते हुए पाए जाने पर राजेश को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा वैशाली नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, मानसरोवर, विधायकपुरी व अशोक नगर थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुक्का बारों के संचालन की शिकायतें मिलती हैं। इसके बावजूद हाल ही में इन इलाकों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

फॉलोअप

राजस्थान पत्रिका
पत्रिका प्रकाशित खबर।

पत्रिका Mon, 04 March 2019

कमिश्नर के हुक्का बार के खिलाफ कार्यवाही के आदेश नहीं है थानों में

शहर में फ़ैल रहे अवैध हुक्का बारों को देखते हुए पुलिस आयुक्त श्री आनंद श्रीवास्तव द्वारा सभी हुक्का बारों के खिलाफ कार्यवाही करने और हुक्का बार पाए जाने पर सम्बंधित थानाधिकारी पर कार्यवाही करने के आदेश दिए थे परन्तु आश्चर्य की बात है कि किसी भी थाने द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया कि उनके पास इस आदेश की प्रति उपलब्ध है|RTI के हवाले में,सभी ने यह आदेश उपलब्ध होने से मना कर दिया|

गुजरात,महाराष्ट्र,पंजाब में बैन हो चुके है हुक्का बार और लांज

हुक्का बारों के नाम पर नशे के कारोबार को देखते हुए देश के तीन राज्यों में हुक्का बार और लांज के संचालन पर प्रतिबन्ध लग चूका है,परन्तु हमारे प्रदेश में इस और ध्यान देने वाला कोई नहीं है|

हुक्का है बीमारियों का घर

एक रिपोर्ट के अनुसार हुक्के के एक घंटे के प्रयोग के दौरान सेवन करने वाला व्यक्ति 20 से 200 बार सांस खींचता है,जिससे 50 लीटर कार्सिनोजलिक केमिकल वाला खतरनाक धुआ पैदा होता है|इसके अलावा हुक्के की एक से से ज्यादा व्यक्तियों के प्रयोग करने से टीबी और अन्य बिमारियां होने का भी डर रहता है|हुक्के का सेवन करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर अन्य नशों की भी लत लग जाती है|

रूफटॉप रेस्टोरेंट, चल रहा था हुक्का बार

जयपुर. बजाज नगर पुलिस ने सोमवार को लालकोठी स्थित रूफटॉप रेस्टोरेंट में चल रहे हुक्काबार पर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि रूफटॉप स्टारडस्ट रेस्टोरेंट पर दबिश दी तो वहां से हुक्का, कई फ्लेवर व अन्य सामग्री जब्त की गई। इस पर गोल्यावास निवासी मैनेजर हेमंत कुमार व शिफ्ट इंचार्ज करतारपुरा निवासी शशिकांत जैन को गिरफ्तार किया गया।

क्या राजस्थान सरकार बंद करवा पाएगी अवैध हुक्का बार??

हुक्के की लत हमारे युवा वर्ग में तेजी से फ़ैल रही है और हुक्के की आड़ में नशा सप्लाई होता है यह भी जगजाहिर है,जिसको देखते हुए इनको तत्काल बंद करवाना जरुरी है|परन्तु सवाल यह उठता है कि इसकी पहल कौन करेगा?क्या पुलिस विभाग वर्तमान धाराओं में इन पर सख्त कार्यवाही करने में सक्षम है??जरूरत है कि राज्य सरकार भी गुजरात,महाराष्ट्र,पंजाब की पॉलिसियों का अध्यन कर,इन अवैध हुक्का बारों को बंद करने के कदम उठाये|

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर(पूर्व) से प्राप्त सूचनाएं:-

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
1.	प्रताप नगर	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,/21 कोटपा एक्ट	2	1. कैफे अड्डा,एस.के.आई.टी. कॉलेज के सामने 2. डेजा वू कैफे,जगतपुरा पुलिया के पास,जगतपुरा
2.	जवाहर सर्किल	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,/21 कोटपा एक्ट	49	1. हुक एंड स्नुक कैफे एंड लाज,,गौरव टावर,मालवीय नगर 2. अपडाउन बार एंड लॉज,मालवीय नगर 3. टेन 11 लॉज एंड बार,गोल्ड सुक,जवाहर सर्किल, 4. टी कनेक्ट कैफे,गिरधर मार्ग,मालवीय नगर 5. कैफे अजयलिया,सेक्टर 09,पालिका बाजार रोड,मालवीय नगर 6. एस्टिरिया,बी-२ बाईपास,जवाहर सर्किल 7. दी टी कैफे,गिरधर मार्ग 8. दी कश रेस्टोरेंट,WTP के पीछे 9. लाओला फोर्ट,विजय नगर,मालवीय नगर 10. दा बुजोन कैफे एंड लॉज,गिरधर मार्ग 11. ओटी.बी. रेस्टोरेंट,क्रिस्टल कोर्ट 12. बी-6 कैफे,स्वगर्स,महा 13. लक्ष्मीनगर,WTP के पीछे 14. हंगरी बड्र्स कैफे,महालक्ष्मी नगर,डी-ब्लाक,मालवीय नगर

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
				15. Drunch बार,गिरधर मार्ग 16. मीट एंड ट्रीटगौरव टावर 17. पोलीवुड,गिरधर मार्ग 18. हब 40 बार,गौरव टावर 19. आरजे रेस्टोरेंट एंड कैफे,सिद्धार्थ नगर 20. डाउन टाउन कैफे,महालक्ष्मीनगर के पीछे,मालवीय नगर 21. स्काईलिट्,होटल एथेनिक,गिरधर मार्ग 22. 3D रेस्टोरेंट जवाहरसर्किल
3.	आदर्श नगर	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,/21 कोटपा एक्ट	6	1. नो वे आउट कैफे,गली न. 4 राजापार्क 2. OTR-16,पिंक स्क्वायर,आदर्श नगर
4.	जवाहर नगर	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,/21 कोटपा एक्ट	7	1. टी कनेंट,टूटी पुलिया के पास,जवाहर नगर 2. रेट्रो रेस्टोरेंट,एमपीएस स्कूल के पास,जवाहर नगर 3. दा टी कैफे,टूटी पुलिया के पास,जवाहरनगर 4. चैक इन रेस्टोरेंट,प्रीतम ढाबे के

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
5.	मोती डूंगरी	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,/21 कोटपा एक्ट	6	1. अन्प्लक्ड रेस्टोरेंट,गोविन्द मार्ग 2. रोमियो ट्रीट,गोविन्द मार्ग 3. कैफे जयपुर दरबार,गोविन्द मार्ग,जयपुर 4. कैफे ट्युडल एमडी रोड
6.	बजाज नगर	कोई जवाब नहीं	7	1. सोशलायिट लक्ष्मीमंदिर के पास 2. ए पब सिटी रेस्टोरेंट गोपालपुरा टोंक रोड 3. शाही चौपाल,लक्ष्मी मंदिर चौराहा,जयपुर 4. स्टारडस्ट कैफे व बार,सिग्नेचर टावर,लाल कोठी
7.	मालवीय नगर	कोई जवाब नहीं	4	1. Scary Mansion,महालक्ष्मी टावर,7th फ्लोर,मालवीय नगर 2. रोज कैफे,मॉडल टाउन,मालवीय नगर 3. मेड जेक रेस्टोरेंट,झालाना प्याऊ के पास

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर(पश्चिम) से प्राप्त सूचनाएं:-

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
1.	वैशाली नगर	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,5/20 कोटपा एक्ट व 5/11 में इस्तगासा	9	1. अंडरस्कोर रेस्त्रो,ग्राउंड फ्लोर,संकल्प टावर,खातीपुरा रोड 2. गोल्डस्ट रेस्त्रो लोंज,F-32.3rd फ्लोर,अमन टावर,गौतम मार्ग 3. 3D लौंज ,39,गिरनार कॉलोनी,गौतम मार्ग 4. स्ट्रीट-59,गुप्ता स्टोर के पीछे,वैशालीनगर 5. सोशल अफेयर कैफे,डी-235A आम्रपाली मार्ग,वैशालीनगर 6. एवुड बॉक्स,सी128 विद्युत नगर-सी,भरत अपार्टमेंट,चित्रकूट,वैशालीनगर 7. फ्लैप जैक,गांधी पथ,वैशालीनगर
2.	चित्रकूट	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,5/20 कोटपा एक्ट व 5/11 में इस्तगासा	11	1. गोल्डस्ट रेस्त्रो लोंज,F-32.3rd फ्लोर,अमन टावर,गौतम मार्ग 2. साथी रेस्टोरेंट,गोविन्द नगर मोड,चित्रकूट 3. एवुड बॉक्स,सी128 विद्युत नगर-सी,भरत अपार्टमेंट,चित्रकूट,वैशालीनगर 4. ओस्क्यूरो कैफे,F-18,गौतम मार्ग 5. क्रोक्रोडेंन रेस्त्रो एंड लौंज एवरशाईन टावर,आम्रपाली सर्किल

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
3.	थाना सदर	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9/11 तथा 9/7	शून्य	कोई नहीं
4.	भांकरोटा	कोटपा व धुम्रपान अधिनियम के अन्तरगत	शून्य	शून्य
5.	हरमाड़ा	अपराध की प्रवृति के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही	शून्य	शून्य
6.	मुरलीपुरा	कोई सुचना नहीं दी	शून्य	शून्य
7.	विश्वकर्मा	कोई सुचना नहीं दी	कोई सुचना नहीं दी	कोई सुचना नहीं दी
8.	बनीपार्क	शून्य	शून्य	शून्य
9.	सिंधीकैंप	शून्य	शून्य	शून्य
10	महिलाथाना(बनी पार्क)	शून्य	शून्य	शून्य
11.	बगरू	शून्य	शून्य	शून्य
12.	सेज	शून्य	शून्य	शून्य
13.	चौमु	अपराध की प्रवृति के अनुसार	शून्य	शून्य

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
14.	झोटवाडा	सम्बंधित नहीं	शून्य	शून्य
15.	करधनी	शून्य	शून्य	शून्य
16.	करणी विहार	राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 एवं 4,5/20 कोटपा एक्ट व 5/11 में इस्तगासा	शून्य	शून्य
17.	कालवाड़	कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही	सम्बंधित नहीं	शून्य

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर(उत्तर) से प्राप्त सूचनाएं:-

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
1.	विद्याधर नगर	कोटपा एक्ट	3	1. दानाशिवम होस्पिटल के पास थडी वाले का चालान 2. गणेशा रस्टोरेंट 3. हुक्की-डूक्कीरेस्टोरेंट,ट्यूलिप एन्क्लेव
२.	माणकचौक	शून्य	1	1. वीनस रेस्टोरेंट,जनता मार्किट
3.	ब्रहमपुरी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	सुभाषचौक	शून्य	शून्य	शून्य
5.	कोतवाली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	महिला थाना(उत्तर)	शून्य	शून्य	शून्य
7.	संजय सर्किल	शून्य	शून्य	शून्य
8.	रामगंज	शून्य	शून्य	शून्य
9.	भट्टाबस्ती	शून्य	शून्य	शून्य
10.	आमेर	शून्य	शून्य	शून्य
11.	गलतागेट	शून्य	शून्य	शून्य
12.	नाहरगढ़ रोड	शून्य	शून्य	शून्य
13.	शास्त्री नगर	शून्य	शून्य	शून्य
14.	जालूपुरा	शून्य	शून्य	शून्य

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर(दक्षिण) से प्राप्त सूचनाएं:-

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
1.	सोडाला	शून्य	शून्य	शून्य
२.	मानसरोवर	4,7,9/20 कोटपा अधिनियम 2003	1	डी पायरायिट्स,वीटी रोड चौराहा
3.	चाकसू	शून्य	शून्य	शून्य
4.	महेश नगर	कोई जानकारी नहीं	1	पॉइंट हाउस,ओके प्लस बिल्डिंग,स्वेज फार्म
5.	विधायकपुरी	शून्य	2	1. 999, रेस्टोरेंट,मॉल 21,भगवानदास रोड,पांच बत्ती के पास २. फुमोटिगो बार,अजमेर पुलिया के पास
6.	सांगानेर	शून्य	शून्य	शून्य
7.	शिप्रापथ	शून्य	5	उपलब्ध नहीं करवाई
8.	कोटखावदा	शून्य	शून्य	शून्य
9.	शिवदासपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मुहाना	शून्य	शून्य	शून्य
11.	अशोक नगर	शून्य	24	1. ब्लेक आउट बार 2. RJ-14 3. दी स्पेश 4. वेस्टरोस 5. सोशल जंक 6. WTF कैफे 7. HOBS (हाउस ऑफ़ बुम्किंस) 8. मिक्स टैप 9. रीयुनाईट 10. रंगनील 11.रीफ्यूल 12. स्कोल अप

क्रम	थाना	पुलिस द्वारा हुक्का बारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही|	1 जनवरी से 2018 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही	थानाक्षेत्र में संचालित हुक्का बारों के नाम
12.	श्याम नगर	शून्य	10	1. स्कूप्स एंड स्माइल कैफे,D-88 जनपथ रोड 2. एक्लेकटिका रेस्तिरेंट,न्यू सांगानेर रोड 3. फर्स्ट इनिंग रेस्टोरेंट एंड कैफे,किंग रोड 4. ओजोन लौंज डी-88,जनपथ
13.	ज्योतिनगर	कोटपा एक्ट	5	जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई|